

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- सीपी 109/84-2-2013-सीपी 8/2012
लखनऊ :: दिनांक :: 11 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय नीचे दिये गये विवरण के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/महिला सदस्य को उक्त विवरण के स्तम्भ -3 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हैं :-

विवरण

क्र०स०	सदस्य का नाम, पद एवं पता	स्थानान्तरण का स्थान एवं पद
1	2	3
1	श्री राम नाथ, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, आगरा प्रथम।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस (प्रशासनिक आधार पर)।
2	श्री नरेन्द्र सिंह रावल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बस्ती।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा (स्वयं के अनुरोध पर)।
3	श्री संजीव सिरोमणि अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बस्ती (स्वयं के अनुरोध पर)।
4	श्री मूल चन्द्र शुक्ला अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मथुरा (प्रशासनिक आधार पर)।
5	श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मथुरा।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्ध नगर (जनहित में)।
6	श्री एस०सी० मंगला अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी।	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, आगरा प्रथम (जनहित में)।
7	श्री हीरा लाल कर्दम अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस।	जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी (प्रशासनिक आधार पर)।
8	श्रीमती प्रीति त्रिपाठी, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, गाजियाबाद (स्वयं के अनुरोध पर)।
9	श्रीमती सावित्री देवी, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बिजनौर।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सहारनपुर (स्वयं के अनुरोध पर)।
10	श्रीमती ज्योति अग्रवाल, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सहारनपुर।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बिजनौर (स्वयं के अनुरोध पर)।
11	श्रीमती मनीषा सक्सेना, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, गाजियाबाद।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा (स्वयं के अनुरोध पर)।
12	श्रीमती परमशिला, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सोनभद्र।	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, गाजीपुर (स्वयं के अनुरोध पर)।

13 श्रीमती कृष्णा जायसवाल, महिला सदस्य, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम, गाजीपुर। देवरिया (स्वयं के अनुरोध पर)।

2. उपर्युक्त आदेश सिविल अपील संख्या- 6733/2003 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आनंद प्रकाश सोलंकी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2003 के अधीन चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त किये जा रहे हैं।

3. उपर्युक्त स्थानान्तरित अध्यक्ष/महिला सदस्य को एतद्द्वारा यह निदेशित किया जाता है कि वह कृपया अपने स्थानान्तरित स्थान पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा तदुपरान्त राज्य आयोग एवं शासन को तत्काल अवगत करायें।

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

पुष्टांकन संख्या- सीपी 109(1)/84-2-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (2) जिलाधिकारी, आगरा, हाथरस, बस्ती, इटावा, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, मैनपुरी, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया।
- (3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) कोषाधिकारी, आगरा, हाथरस, बस्ती, इटावा, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, मैनपुरी, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया।
- (5) संबंधित व्यक्ति।
- (6) जिला उपभोक्ता फोरम आगरा प्रथम, हाथरस, बस्ती, इटावा, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, मैनपुरी, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया। (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)

आज्ञा से,

(जगदीश सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या: सीपी 108/84-2-2013-सी0पी0 8/2012

लखनऊ :: दिनांक :: 11 मार्च, 2013

अधिसूचना


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा 10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1-क) के अधीन गठित जिला समिति की संस्तुति पर नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ -3 में उल्लिखित व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के, जिसे जिले का जिला फोरम के नाम से जाना जायेगा, सामान्य सदस्य या महिला सदस्य, जैसा कि स्तम्भ-5 में उल्लिखित है, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित जिला फोरम के गठन के क्रम में पूर्ववर्ती अधिसूचनायें तदनुसार उपान्तरित हो जाएंगी।

निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व विज्ञापन में अपेक्षित अर्हताओं से संबंधित अभिलेख तथा प्रमाणपत्र/पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन के वांछना की संवीक्षा की पूर्ति अवश्य करा ली जाय।

अनुसूची

0	जिला फोरम का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
0	2	3	4	5
	आगरा प्रथम	श्री सर्वेश चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सतीश चन्द्र कुलश्रेष्ठ, 11 पुरानी ईदगाह कालोनी, आगरा।	23.12.1968	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
	फिरोजाबाद	श्री नरेश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री राम भरोसे यादव, शिवगंगा मार्केट, पक्का तालाब, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)।	12.11.1967	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
	आजमगढ़	श्री विन्ध्याचल शर्मा पुत्र श्री केशव प्रसाद शर्मा (पूर्व सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ), ग्राम- जलालपुर, पो0-कौड़िया, आजमगढ़।	10.12.1959	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
	बस्ती	श्री अवध बिहारी 'मितवा' पुत्र स्व0 श्री जासू यादव (पूर्व सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया), ग्राम- भण्डारी, पो0-चवया(नगर) बलिया।	01.07.1952	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
	उन्नाव	श्री अशोक कुमार यादव, पुत्र श्री महेश प्रसाद यादव, ग्राम-दरबारी खेड़ा, पो0-चमरौली, उन्नाव।	01.01.1952	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
	श्रावस्ती	श्री नावेद अहमद पुत्र श्री मजहर हसन (पूर्व सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच), फैंज मन्जिल, काजीपुरा, बहराइच।	25.06.1967	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)

7	आजमगढ़	श्रीमती ऊषा पत्नी श्री राम चन्द्र यादव, मु0-सफुद्दीनपुर(चाणक्य सिनेमा हाल के सामने) पो0-सदर, थाना-सिधारी, आजमगढ़।	10.05.1970	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
8	लखनऊ प्रथम	श्रीमती गीता यादव पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार यादव, 3, ब्रह्म नगर, नियर डालीगंज रेलवे क्रासिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ।	10.07.1958	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)

आज्ञा से,

 (दीपक त्रिवेदी)
 प्रमुख सचिव।

संख्या: सीपी 108(1)/84-2-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि : अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 11, मार्च, 2013 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
 संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,
 /
 (सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
 विशेष सचिव।

संख्या: सीपी 108(2)/84-2-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी की आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं संबंधित अभिलेखों को मूल प्रमाण पत्रों से जांच लें तथा संबंधित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अवश्य देख लें और इन सभी के सही होने की दशा में ही नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जाय। निबन्धक, राज्य आयोग कृपया नियुक्त अभ्यर्थी /अभ्यर्थिनी को फोरम में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र कि नियुक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं है, प्राप्त कर एवं सन्तुष्ट होने की दशा में ही अनुमति देने का कष्ट करेंगे।
- (4) जिलाधिकारी (आगरा, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, उन्नाव, श्रावस्ती, लखनऊ)।
- (5) कोषाधिकारी (आगरा, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, उन्नाव, श्रावस्ती, लखनऊ)।
- (6) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- (8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- (9) संबंधित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यह नियुक्ति इस शर्त के

अधीन है कि चरित्र सत्यापन के उपरांत निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। निबन्धक, राज्य आयोग से कार्यभार ग्रहण संबंधी पत्र प्राप्त होने पर पन्द्रह दिवसों के अंदर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाणपत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं है, के शपथ पत्र सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम (आगरा प्रथम, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, उन्नाव, श्रावस्ती, लखनऊ प्रथम) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(जगदीश सिंह)

उप सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या: सीपी 107/84-2-2013-सी0पी0 8/2012

लखनऊ :: दिनांक :: 11 मार्च 2013

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1-क) के अधीन गठित जिला समिति की संस्तुति पर नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ -3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के, जिसे जिले का जिला फोरम के नाम से जाना जायेगा, अध्यक्ष, जैसा कि स्तम्भ-5 में उल्लिखित है; कार्यभार ग्रहण करने के लिये पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित जिला फोरम के गठन के संबंध में पूर्ववर्ती अनुसूचनार्थ तदनुसार उपान्तरित हो जाएंगी ।

अनुसूची

सं.	जिला फोरम का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरनगर	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री धनी राम, ग्राम-नडा, सहडमर, बागपत।	31.07.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
2	चित्रकूट	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, बेगम हाउस, सिविल लाइन्स, प्रतापगढ़।	15.02.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
3	अम्बेडकरनगर	श्री विजय प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद मिश्रा, 629, कृष्णानगर कालोनी, बसारतपुर, गोरखपुर।	07.04.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
4	झांसी	श्री शिव यत्न राम पुत्र श्री प्यारी राम, 16/1441, इन्दिरानगर, लखनऊ।	25.07.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
5	ललितपुर	श्री अभय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री केशव देव गुप्ता, 2720, नया बॉस बैरागपुरा, मथुरा।	01.01.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
6	सीतापुर	श्री बृजेश चन्द्र सक्सेना पुत्र स्व0 श्री महादेव प्रसाद सक्सेना, 279/1, गोल्डन ग्रीन पार्क, बीसलपुर रोड, बरेली।	07.07.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
7	भदोही	श्री राम जीत सिंह यादव पुत्र श्री चन्द्रमा सिंह, ग्राम व पो0 नेवावा, गाजीपुर।	01.07.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
8	मुरादाबाद प्रथम	श्री बलवीर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राम कुमार गुप्ता, एच0आई0जी0-142, इन्दिरापुरम, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।	01.08.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

9	मुरादाबाद द्वितीय	श्री जगदीश्वर सिंह पुत्र स्व० श्री जगदम्बा सिंह, ग्राम व पो०-लहना, थाना -गहमर, तहसील जमानियां, गाजीपुर।	05.02.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
10	बलरामपुर	श्री राम नरायन मौर्य पुत्र श्री भागी मौर्य, ग्राम व पो०-काठतरोव, मऊ।	01.04.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
11	औरैया	श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र स्व० पं० रोशन लाल शर्मा, डी-88, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	25.01.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
12	कन्नौज	श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र स्व० श्री अविनाश नारायण तिवारी, अविनाश निकेतन, स्वराज कालोनी, (निकट जिला जेल) बौदा।	12.12.1952	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: सीपी 107 (1)/84-2-2013-सी०पी० 8/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि : अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 11, मार्च 2013 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या: सीपी 107(2)/84-2-2013-सी०पी० 8/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (5) निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- (6) संबंधित जिलाधिकारी (मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, झॉसी, ललितपुर, सीतापुर, भदोही, मुरादाबाद, बलरामपुर, औरैया, कन्नौज)।
- (7) संबंधित जनपदीय कोषाधिकारी (मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, झॉसी, ललितपुर, सीतापुर, भदोही, मुरादाबाद, बलरामपुर, औरैया, कन्नौज)।
- (8) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (9) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- (10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

-) संबंधित व्यक्ति को इस निर्देश के साथ कि कृपया पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के अंदर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें। (द्वारा स्पीड पोस्ट)।
-) संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम (मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, झोंसी, ललितपुर, सीतापुर, भदोही, मुरादाबाद प्रथम, मुरादाबाद द्वितीय, बलरामपुर, औरैया, कन्नौज) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।
-) गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(जगदीश सिंह)

उप सचिव।

